रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1984/भाद्र 9, 1906
No. 346] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1984/BHADRA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1984

सं. 230/84-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 639(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उपधारा (3) और धारा 158 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यानान्तरण (शर्तें) विनियम, 1963, आयातित माल (वायु मार्ग द्वारा यानान्तरण) विनियम, 1963 और आयातित माल (रेल द्वारा यानान्तरण) विनियम, 1981 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम आयातित माल (यानान्तरण की शर्तें) विनियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये विनियम,—

(क) डाक द्वारा आयातित, या

(ख) विदेश जाने वाले विमानों द्वारा यानान्तरित, माल से भिन्न आयातित माल के यानान्तरण को लागू होंगे।

3. यानान्तरण को शासित करने वाली शर्तें :—इन विनियमों के अधीन कोई भी यानान्तरण तभी अनुज्ञात किया जाएगा,—

(क) जब कि वह रेल, जलयान या विमान या किसी यंत्र नोदित यान द्वारा जिसका सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जा सकता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मोटर यान कहा गया है), किया जाए,

(ख) किसी अन्य मोटर यान द्वारा उस दशा में किया जाए जब कि कलक्टर ने मोटर यान के स्वामी द्वारा इस निमित्त किए गए एक पृथक आवेदन पर लिखित आदेश द्वारा मोटर यान द्वारा यानान्तरण को अनुज्ञात किया है,

परन्तु उक्त कलक्टर ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात :—

(i) यानान्तरण के अनुकल्पी साधनों की अनुपलब्धता,

(ii) यानान्तरित किए जाने वाले आयातित माल की प्रकृति,

(iii) अन्तर्वलित सरकारी राजस्व,

(iv) कोई अन्य सुसंगत परिस्थितियां :

परन्तु यह और कि कलक्टर, ऐसे आवेदन को अनुज्ञा देने से इंकार करने से पूर्व, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा,

(ग) जब तक कि आयातित माल से सम्बंधित सूची से यह दर्शित न होता हो कि वह यानान्तरण के लिए है,

(घ) जब तक कि रेल, या जलयान का स्वामी या उसका स्टीमर-अभिकर्ता, या यथास्थिति, विमान का स्वामी या मोटर यान का स्वामी—

(i) आयातित माल के यानान्तरण को पूरा किए जाने के लिए ऐसे प्ररूप में और प्रतिभू या प्रतिभूति या दोनों के साथ या उसके बिना ऐसा बन्धपत्र निष्पादित न करे, उस दशा में विनिर्दिष्ट करें, जब कलक्टर, आयातित माल की प्रकृति यानान्तरण के साधनों, अन्तर्वलित सरकारी राजस्व और किन्हीं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बन्धपत्र का निष्पादन आवश्यक समझता है,

(ii) तीन मास के अन्दर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अन्दर जो वह समुचित अधिकारी, अनुज्ञात करे, सूची में विनिर्दिष्ट गंतव्य स्थान पर या उसके निकट अवस्थित सीमा शुल्क स्टेशन के समुचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया यह प्रमाणपत्र कि आयातित माल उस स्टेशन में उपस्थापित किया गया है, समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में वचनबन्ध नहीं करता है।

4 निष्पादित किए जाने वाले बन्धपत्र के निबंधन :—बन्धपत्र का निबंधन यह होगा कि यदि बन्धपत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति समुचित अधिकारी को तीन मास के अन्दर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अन्दर जो ऐसा अधिकारी अनुज्ञात करे, उक्त बन्धपत्र में विनिर्दिष्ट और गंतव्य स्थान पर या उसके निकट सीमा शुल्क स्टेशन के समुचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया यह प्रमाणपत्र कि आयातित माल उस स्टेशन में उपस्थापित किया गया है, प्रस्तुत कर देता है, तो बंधपत्र प्रभावोन्मुक्त हो जाएगा, किन्तु अन्यथा उस आयातित माल के जिसकी बाबत उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यथास्थिति मूल्य या बाजार मूल्य के बराबर रकम समपहृत हो जाएगी ।

5. साधारण बन्धपत्र :—इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी कलक्टर, यथास्थिति, रेल, या जलयान के स्वामी या उसके स्टीमर-यथास्थिति के स्वामी या मोटर यान के स्वामी को अधिकर्ता या ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति या दोनों के साथ, जो कलक्टर उचित समझे, रेल, या उक्त स्वामियों या यथास्थिति उक्त स्टीमर अभिकर्ता द्वारा या रेल या ऐसे स्वामियों या स्टीमर अभिकर्ता की ओर से किए गए आयातित माल के यानान्तरित माल की बाबत साधारण बन्धपत्र, निष्पादित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

6. यानान्तरित आयातित माल का सीलबंध किया जाना :

(1) आयातित माल को यानान्तरित किए जाने से पूर्व, समुचित अधिकारी,—

(क) रेल द्वारा यानान्तरण की दशा में, आधानों को यथास्थिति रेल के प्रत्यायित प्रतिनिधि या स्टीमर अभिकर्ता की उपस्थिति में सीमा शुल्क विभाग की मुद्राओं से सीलबंध करेगा ।

(ख) वायुयान या मोटरयान द्वारा यानान्तरण की दशा में आयातित माल वाले सभी पैकेजों को टिकाऊ थैलों में रखेगा और थैलों को यथास्थिति, वायुयान या मोटर यान के स्वामी के प्रत्यायित प्रतिनिधि की उपस्थिति में सीमा शुल्क विभाग की मुद्रा से सीलबंध करेगा ।

(2) उप विनियम (1) के अधीन आधानों या थैलों को सीलबंध करने के लिए अपेक्षित सामग्री और थैल यथास्थिति, रेलों या वायुयान के स्वामी या मोटरयान के स्वामी द्वारा अपनी लागत पर दिए जाएंगे ।

7 फीस का संदाय : आयातित माल के यानान्तरण के लिए प्रत्येक आवेदन की बाबत पांच रुपए की फीस सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर प्रभारित की जाएगी ।

[फा. सं. 441/17/79-सीयूएस-IV]

सुनील कुमार, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1984

No. 230/84-CUSTOMS

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sub-section (3) of section 54 and section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Transhipment (Conditions) Regulations, 1963, Imported Goods (Transhipment by Air) Regulations, 1963, and the Imported Goods (Transhipment by Rail) Regulations, 1981, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Imported Goods (Conditions of Transhipment) Regulations, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to the transhipment of imported goods other than goods:—

(a) imported by post, or

(b) transhipped by foreign going aircrafts.

3. Conditions governing transhipment.—No transhipment shall be allowed under these regulations :—

(a) except by rail, a vessel or an aircraft or by any mechanically propelled vehicle, used or capable of being used for the purpose of road transport (hereinafter referred to as the motor vehicle) ;

(b) by any motor vehicle unless the Collector, on a separate application made in this behalf by the owner of the motor vehicle, by order in writing, permits transhipment by the motor vehicle;

Provided that the said Collector shall, in considering an application for such permission, have regard to the following matters, namely :—

(i) non-availability of alternate means of transhipment;

(ii) the nature of the imported goods to be transhipped;

(iii) Government revenue involved;

(iv) any other relevant circumstances ;

Provided further that the Collector shall, before refusing any such application for permission, give a reasonable opportunity of being heard to the applicant;

(c) unless manifest relating to the imported goods shows that the same are for transhipment;

(d) unless the Railways, or the owner of the vessel or its steamer-agent, or the owner of the aircraft or, as the case may be, the owner of the motor vehicle :—

(i) executes a bond in such form and with or without surety or security or both as the Collector may specify for completion of the transhipment of the imported goods, if the Collector, having regard to the nature of the imported goods, means of transhipment, Government revenue involved and any other relevant circumstances, considers execution of such bond necessary;

(ii) undertakes in writing to produce to the proper officer, within three months or within such extended period as that proper officer may allow, a certificate issued by the proper officer at the custom's station situated at or nearest to the place of destination specified in the manifest that the imported goods have been produced at that station;

4. Terms of the bond to be executed.—The terms of the bond shall be that if the person executing the bond produces to the proper officer within three months or within such extended period as such officer may allow, a certificate issued by the proper officer at the customs station specified in the said bond and situated at or nearest to the place of destination that the imported goods have been produced at that station, the bond shall stand discharged; but otherwise an amount equal to the value or, as the case may be, the market price of the imported goods in respect of which the said certificate is not produced shall stand forfeited.

5. General bond.—Notwithstanding anything contained in these regulations, the Collector may permit the Railways, or the owner of the vessel or its steamer agent, or the owner of the aircraft or, as the case may be, the owner of the motor vehicle, to enter into a general bond in such form and with such surety or security or both as the Collector may deem fit in respect of the transhipment of the imported goods effected by the Railways or the said owners or, as the case may be, the said steamer-agent, or on behalf of the Railways or such owners or steamer-agent.

6. Imported goods transhipped to be sealed.— (1) Before the imported goods are transhipped, the proper officer shall :—

(a) in the case of transhipment by rail, seal the containers with the Customs Department's seal in the presence of an accredited representative of the Railways or the steamer-agent, as the case may be ;

(b) in the case of transhipment by an aircraft or a motor vehicle, place all small packages containing the imported goods in durable bags and seal the bags with the Customs Department's seal in the presence of an accredited representative of the owner of the aircraft or the motor vehicle, as the case may be.

(2) The materials and the bags required for sealing the containers or bags under sub-regulation (1) shall be provided by, and at the cost of, the Railways or the owner of the aircraft or as the case may be, the owner of the motor vehicle.

7. Payment of fees.—A fee of five rupees in respect of each application for transhipment of the imported goods shall be charged at all customs stations.

[F. No. 441/17/79-Cus-IV]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984